

16/04/25

पत्रा. पेश हुई। वादीगण मय अधिवक्त। अनुपास्थित। वकील  
प्रतिवादीगण। उपास्थित। जिनके समक्ष। तनकीयात विमोचित  
की जाकर विवेचन किया गया। वादीगण मय अधिवक्ता  
को न्यायालय समय पर विधित मय से बार-बार  
आवाजे लगावाई गई। उसके उपरान्त भी वादीगण  
मय अधिवक्ता के गैर-हजरि रहने से वादीगण  
का यह वाद अदम धजारे व अदम पैरवी में खारिज  
किया जाता है।

पत्रावली केसल कुमार लेकर दायित दफतर में  
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर सलूमबर

जिला सलूमबर